

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय:-जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्रान्तर्गत Annuity Model के आधार पर पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु फेज-III अंतर्गत 3,000 अतिरिक्त LED Light के अधिष्ठापन हेतु कुल 2,25,84,819/-रु० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में शहरी क्षेत्र की सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं अपराध नियंत्रण के साथ-साथ ऊर्जा बचत के दृष्टिकोण से LED Light युक्त पथ-प्रकाश व्यवस्था का अधिष्ठापन एक महत्वपूर्ण कार्य है।

2. उक्त क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दि०-09.08.2016 के द्वारा झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन हेतु ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम M/s Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) की मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस क्रम में विभागीय संकल्प संख्या-3844 दिनांक-16.06.2017 द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में M/s EESL के द्वारा Annuity Model के आधार पर फेज-I एवं फेज-II के अंतर्गत कुल 4,788 LED Street Light के अधिष्ठापन हेतु कुल 6,89,01,677/-रु० की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. पुनः जमशेदपुर अ०क्षे०स० के पत्रांक-2000 दिनांक-03.10.2017 द्वारा नगर निकाय क्षेत्र में अबादी बढ़ने एवं बिजली विभाग द्वारा नये पोल लगाये जाने के आलोक में 3,000 अतिरिक्त LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है। इस क्रम में M/s EESL द्वारा जमशेदपुर अ०क्षे०स० क्षेत्र में फेज-III के अंतर्गत खाली पोल पर 3,000 LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन तथा CCMS (Central Control & Monitoring System) के लिए Earthing के प्रावधान हेतु Annuity Model के आधार पर कुल 2,25,84,819/-रु० का योजना प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

4. झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, सिंहभूम विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर के पत्रांक-983 दिनांक-31.03.2018 द्वारा अग्रसारित उक्त योजना हेतु M/s EESL द्वारा तैयार प्राक्कलन पर महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, सिंहभूम विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

Phase III: Installation of LED Lights on Vacant Electric poles (3000 Nos.)					
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	LED light-120 W	0	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	0
2	LED light-75 W	2100	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	15750000
3	LED light-40 W	900	Rs. 90/Watt	Rs. 10/Watt	3600000
4	Total Cost of LED lights				19350000
5	Infrastructure development charge		@10% of S.No. 4		1935000
6	Project Management consultancy		@3% of S. No. 4 & 5		638550
Total (A)-			19731195.00	2192355.00	21923550.00
Infrastructure Development Component for Phase II					
S.No	Name of Material	Quantity	Supply Rate	Manpower cost	Amount (Rs.)
1	Supply & Installation of Pipe Earthing (40 dia 2.5m ling GI pipe for CCMS earthing)	86	2000	1000	258000
Total(B)-			172000	86000	258000
(C) Supervision Cost (@ 15% of Manpower Cost)					Rs. 341753.25
(D) GST @ 18% on Supervision Charge					Rs. 61515.59
Total Project Cost (A+B+C+D)					Rs. 22584818.84
Say					Rs. 22584819

5. LED स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन योजना के फेज-III के अन्तर्गत जमशेदपुर अ०क्षे०स० में अवस्थित खाली पोल पर M/s Energy Efficiency Services Ltd. के द्वारा 3,000 LED Light के अधिष्ठापन पर कुल 2,25,84,819/-रु० की लागत आयेगी एवं इसके लिए जमशेदपुर अ०क्षे०स० द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. को अगले सात

वर्षों तक प्रतिवर्ष रू० 60,26,577/- का भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष प्रत्येक LED Light के लिए M/s Energy Efficiency Services Ltd. को 2,009/-रू० का भुगतान किया जायेगा।

6. M/s EESL के द्वारा Annuity Model के आधार LED स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन योजना प्रस्ताव पर विचार हेतु जमशेदपुर अ०क्षे०स० के द्वारा दिनांक-17.03.2017 को आयोजित Stakeholders की बैठक में सहमति प्रदान की जा चुकी है जिसके आधार पर इस निकाय अंतर्गत फेज-I एवं फेज-II की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा झारखण्ड के शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MoU किया गया है। जमशेदपुर अ०क्षे०स० हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव पर जमशेदपुर अ०क्षे०स० के द्वारा M/s Energy Efficiency Services Ltd. के साथ MoU किया जायेगा, जिसके प्रारूप पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. उक्त योजना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड, राँची के द्वारा वहनीय व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद के अन्तर्गत निम्नांकित बजट शीर्ष से किये जाने का प्रस्ताव है:-

मुख्यशीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्यशीर्ष-80-लघुशीर्ष-796/191/789 के अन्तर्गत उपशीर्ष-94- शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ -विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित तीनों प्रक्षेत्र (TSP/OSP/SCSP) से की जायेगी।

9. M/s Energy Efficiency Services Ltd. द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-4378 दिनांक-09.08.2016 के प्रावधानों तथा नगर विकास एवं आवास विभाग एवं जमशेदपुर अ०क्षे०स० के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा के अनुरूप सेवाएँ प्रदान की जायेगी।

LED Light के अधिष्ठापन के पश्चात् अपेक्षित सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर 2% दंड शुल्क का प्रावधान किया गया है, जो AMC से वसूलनीय होगी। LED स्ट्रीट लाईट से संबंधित समस्त शिकायतों का निपटारा केन्द्रीयकृत व्यवस्था अन्तर्गत 48 घंटे के अंदर सर्वश्री EESL के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में LED लाईट अधिष्ठापित खम्भों पर विज्ञापन, आदि के माध्यम से नियमानुसार राजस्व संसाधन जुटाए जाएंगे, जिनका सर्वप्रथम उपयोग इस व्यवस्था के अन्तर्गत किए जाने वाले भुगतान हेतु किया जायेगा।

11. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-5/न०वि०/विविध (EESL)-111/2016.....राँची, दिनांक- 09/05/18

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई-गजटीय, नगर विकास एवं आवास विभाग को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-5/न०वि०/विविध (EESL)-111/2016.....राँची, दिनांक- 09/05/18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ०क्षे०स०/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लिमिटेड/उप सचिव, बजट शाखा/श्री कुणाल, CMM को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई-प्राक्चूरमेन्ट सेल, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।